न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2017-00055RAAJodhpur2017-124RTA225 Babali Vs Kaluram etc

श्रीमती बबली पत्नी श्री सोहनलाल, पुत्री स्व. श्री पेमाराम जाति कुम्हार, निवासी- तेजानगर, बिचलापुरा झालामण्ड जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. कालूराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम जाति कुम्हार
02. श्रीराम पुत्र स्व. श्री भैराराम
03. राजूराम पुत्र स्व. श्री भैराराम
04. जुलाराम पुत्र स्व. श्री भैराराम
05. जवरीलाल पुत्र स्व. श्री भैराराम
06. घेवरराम पुत्र स्व. श्री भैराराम
07. ताराचंद पुत्र स्व. श्री भैराराम
08. जालाराम पुत्र स्व. श्री भैराराम
09. श्रीमती घासकी पत्नी स्व. श्री भैराराम
    सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- भालीवाली ऐनियों की ढाणियॉ, कुम्हारों की बगेची, जयपुर बाईपास, झालामण्ड जिला जोधपुर।
10. सुखाराम पुत्र श्री चेलाराम जाति कुम्हार, निवासी- भालीवाली ऐनियों की ढाणीयॉ, कुम्हारों की बगेची, जयपुर बाईपास, झालामण्ड जिला जोधपुर।
11. श्रीमती चन्दा पत्नी श्री केशरराम पुत्री स्व. श्री चेलाराम जाति कुम्हार, निवासी- पुरानी ढण्ढ की ढाणी, झालामण्ड, जिला जोधपुर।
12. श्रीमती फतु बाई पत्नी श्री जगदीश पुत्री स्व. चेलाराम जाति कुम्हार, निवासी- पुरानी ढण्ढ की ढाणी, झालामण्ड, जिला जोधपुर।
13. श्रीमती तीजा पत्नी श्री मिश्रीलाल, पुत्री स्व. श्री चेलाराम जाति कुम्हार, निवासी- धडियों की ढाणीयॉ न्यू सरकारी स्कूल के पास झालामण्ड जोधपुर।
14. श्रीमती वीरा पत्नी श्री श्रीराम पुत्री स्व. श्री चेलाराम जाति कुम्हार, निवासी- धड़ियों की ढाणीयॉ, पुरानी सरकारी स्कूल के पास, झालामण्ड जोधपुर।
15. जगराम पुत्र श्री पेमाराम

हि॰
30.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16. श्रीमती सुजुकी देवी पत्नी स्व. श्री बंशीलाल
17. मूलचंद पुत्र स्व. श्री बंशीलाल
18. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री बंशीलाल निवासीगण- भलीवाली ऐनियों की ढाणीया, कुम्हारों की बगेची, जयपुर बाईपास झालामण्ड जोधपुर।
19. श्रीमती सीता पत्नी सागरराम, पुत्री स्व. श्री बंशीलाल, निवासी- हरकियों की ढाणीयॉ, बिवलापुरा झालामण्ड, जोधपुर।
20. श्रीमती समदा पत्नी श्री मगराज, पुत्री स्व. बंशीलाल निवासी- तेजानगर, बिचलापुरा, झालामण्ड जोधपुर।
21. श्रीमती मंजू पत्नी श्री बबलू पुत्री स्व. श्री बंशीलाल निवासी- चकेणियों की ढाणी, हनुमाननगर, झालामण्ड, जोधपुर।
22. श्रीमती मोहनी पत्नी श्री भीखाराम, पुत्री स्व. श्री पेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी- नान्दड़ाकला, गांव बनाड़, जिला जोधपुर।
23. श्रीमती शांति पत्नी श्री गणपतराम पुत्री स्व. श्री पेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी- 100 चावलों की ढाणी, महादेव मंदिर के सामने गणेशपुरा, रातानाड़ा जोधपुर।
24. श्रीमती गुलाबड़ी पत्नी श्री सेवाराम, पुत्री स्व. श्री पेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी- खेतानगर, बनावड़ियों की ढाणी, झालामण्ड जिला जोधपुर।
25. श्रीमती गजरा पत्नी श्री प्रेमाराम, पुत्री स्व. श्री पेमाराम, जाति कूम्हार, निवासी- तेजानगर, बिचलापुरा, झालामण्ड जोधपुर।
26. श्रीमती उगा पत्नी श्री जयराम, पुत्री स्व. श्री पेमाराम जाति कुम्हार, निवासी- खेतानगर बनावड़ियों की ढाणी, झालामण्ड, जिला जोधपुर।
27. श्रीमती धापा पत्नी श्री ओमाराम, पुत्री स्व. श्री पेमाराम, जाति कुम्हार, निवासी- खेतानगर, बनावड़ियों की ढाणी, झालामण्ड, जिला जोधपुर।
28. दलाराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम
29. श्रवणराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम
30. मगाराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम
31. लालाराम पुत्र स्व. श्री लूणाराम
32. श्रीमती बाईकड़ी पुत्री स्व. श्री लूणाराम
33. श्रीमती गजरा देवी पत्नी स्व. श्री लूणाराम

30-11-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

34. श्रीमती फेकुड़ी पत्नी स्व. श्री कानाराम, जातियान् कुम्हार, निवासी- भालीवाली ऐनियों की ढाणीयॉ, कुम्हारों की बगेची, जयपुर बाईपास, झालामण्ड, जिला जोधपुर।
35. मंगलसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम तुर्रा तहसील व जिला जोधपुर।
36. दलाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति सीरवी, निवासी- मकान नंबर 302 तृतीय मंजिल रमैया लेन चारभुजा कॉम्पलेक्स सिंघना लेन क्रॉस, बैंगलोर।
37. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 सहायक कलक्टर जोधपुर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 136/2015 बबली बनाम कालूराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री सोनाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 37

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 30 नवंबर 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 136/2015 अनवान बबली बनाम कालूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 90 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा ग्राम झालामण्ड के संबंध में धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट

हि.
30.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
जोधपुर

के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होना है। ऐसी स्थिति में सहखातेदार बिना किसी प्रकार का बंटवाड़ा करवाये पड़ौस दर्शित करते हुए बेचान करने पर आमादा है, जबकि उनको ऐसा करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसके संबंध में अपीलार्थीया द्वारा भी सहखातेदारान् के समक्ष निवेदन किया गया, परन्तु सहखातेदारान् द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए पड़ोस दर्शित करते हुए बेचान की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रथमदृष्टया मामला अपीलार्थीनी के पक्ष में न मानने में भारी भूल की है। विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 को खारिज फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 90 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा वाके मौजा झालामण्ड के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे।

30.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवतः 2058-2061 ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के खाता संख्या 717 नवीन एवं पुराना खाता संख्या 705 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 90 रकबा 9.11 बीघा अपीलार्थीया की सहखातेदारी की भूमि है। खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी में निहित अपीलार्थीया के हक-हिस्से को संरक्षित किया जाना न्याय हित में उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष मे पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 को अपास्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचारण तक उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 90 रकबा 09.11 बीघा मौजा झालामण्ड में अपीलार्थीया के हक-हिस्से की भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20-1-23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर